[1][Section 41 : Availment of input tax credit

(1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.**]**

---

1 Section 41 substituted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022. Earlier to substitution it read as under:

"**Section 41 : Claim of input tax credit and provisional acceptance thereof.**

(1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to take the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited on a provisional basis to his electronic credit ledger.

(2) The credit referred to in sub-section (1) shall be utilised only for payment of self-assessed output tax as per the return referred to in the said sub-section."

[1][धारा 41 : इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अपनी विवरणी में स्वःनिर्धारिती के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति की बाबत् उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज के साथ आरक्षित रहेगा :

परन्तु जहां ऐसा पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्ति की बाबत् संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा यथा पूर्वोक्त आरक्षित जमा की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा।]

---

1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा धारा 41 प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

"धारा 41 : इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो विहित किए जाएं, के अधीन रहते हुए अपनी विवरणी में यथा स्वनिर्धारित पात्र इनपुट कर का प्रत्यय लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसके इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्यय का उपयोग केवल, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्वःनिर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जाएगा।"